

राजस्थान सरकार
राजस्व § प्र.प-6 § विभाग

क्रमांक:- प.6§14§राज-6/95/4

जयपुर, दिनांक:- 17-3-99

-: अधिसूचना :-
=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § राजस्थान अधिनियम संख्या-15 तम 1956 § की धारा 260 की उप-धारा §1§ के खण्ड §ख§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-10 के अधीन तथा राजस्थान भू-राजस्व § पेमेन्स, क्रेडिट, रिफण्डस एवं रिकवरी § नियम, 1958 के अधीन कोलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा शक्तियों का प्रयोग वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित समस्त नियमित दृत्तों में नियुक्त सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा स्वंत्र मुख्यालयों पर स्थित दृत्त में नियुक्त समस्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 § 1957 का अधिनियम संख्या-24 § के अधीन सभी प्रकार की बकाया एवं शास्ति के संबंध में किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

§ सज्जद दीक्षित §

शासन उप सचिव

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महो०/राजस्व मंत्री महो०/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व / आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
3. समस्त जिला कोलेक्टर, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.3.99 में प्रकाशनार्थ।
6. "रापिरो" राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. उप-निबन्धक § दृत्त एवं लेखा § राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. दृत्त कर विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव